न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–57 / 2016–17

अनिता देवी वगैरह बनाम सत्यदेव सिंह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
11/6/18		

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30 / 2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :–

प्रथम पक्ष :

1. श्रीमती अनिता देवी, पति राम बाबु सिंह, ग्राम–नया गाँव, थाना–नया गाँव, जिला–पटना

2. श्रीमती सुनिता देवी, पति अरविन्द सिंह, ग्राम–दरियापुर, थाना–दरियापुर, जिला–सारण।

द्वितीय पक्ष :

सत्यदेव सिंह, पिता स्व0 रामशरण सिंह, ग्राम–जमालपुर, थाना–धनरूआ, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (ए0–डी0)
1	2	3	4	5	6
धनरूआ	ओरियारा	90	270	1339	0.09
			270	1406	0.16
			271	1256	0.28
			271	1257	0.45
			270	1423	0.26
			271	1258	0.23
				1343	0.07
				1402	0.10
				1403	0.15
				1404	0.12
				1405	0.10
				1424	0.12
				1425	0.12
				1401	0.20
				कुल:	2.45 ए0

(मनीष)

प्रथम पक्ष का कहना है कि

(1) फुदन महतो को दो पुत्र जगनारायण सिंह एवं राम शरण सिंह हुए। जगनारायण सिंह को मात्र एक पुत्री जीरानों देवी थी, जिनका विवाह अखिलानंद सिंह से हुआ। जीरानों देवी को दो पुत्री अनिता देवी एवं सुनीता देवी हुई जो इस वाद के प्रथम पक्ष है। रामशरण सिंह को एक मात्र पुत्र सत्यदेव सिंह हुए जो इस वाद के विपक्षी है।

(2) जगनारायण सिंह एवं राम शरण सिंह ने दिनांक 01.10.1947 एवं 17.12.1947 के निबंधित डीड से मौजा ओरियारा में 10.46 एकड़ भूखण्ड प्राप्त किया। उनके द्वारा अन्य मौजा यथा जियाउद्दीन चक, जगालपुर आदि में भी भूमि खरीदी गयी।

(3) दोनों भाईयों के बीच आपसी बंटवारा हुआ, जिसमें ओरियारा ग्राम के 10.46 एकड़ भूखण्ड में आधा हिस्सा जगनारायण सिंह को मिला।

(4) जगनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री जीरानो देवी को प्रश्नगत भूखण्ड के लिए बख्शीशनामा लिखा, जिसके बाद जीरानो देवी उक्त भूखण्ड पर दखल में आयी। जीरानों देवी की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्रियाँ (प्रथम पक्ष) अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आयी।

(5) प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, धनरूआ को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 3903/454/2015–16 अंतर्गत राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा दिनांक 03.03.2016 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(6) अंचलाधिकारी, धनरूआ के आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/2016–17 दायर किया गया।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजों पर ध्यान दिये बिना दिनांक 30.11.2016 को अपील स्वीकृत कर ली गयी तथा अंचलाधिकारी, धनरूआ के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/2016–17 में दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि

(1) वर्ष 1947 में जगनारायण सिंह एवं रामशरण सिंह ने संयुक्त रूप से मौजा ओरियारा में निबंधित पट्टा से 10.46 एकड़ भूखण्ड की खरीद भूतपूर्व जमीन्दार से की थी, खरीदगी के पश्चात दोनों भाई संयुक्त रूप से दखल में आये।

(2) वर्ष 1959 में अन्य सम्पति के साथ विवादित भूखण्ड का बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारा में जगनारायण सिंह को ओरियारा मौजा में 2.96 एकड़ तथा रामशरण सिंह को 5.83 एकड़ भूखण्ड मिली। बंटवारा के पश्चात रामशरण सिंह के नाम से वर्ष 1966–67 में जमाबंदी सं0 14 कायम की

गयी।

(3) मौजा ओरियारा में विपक्षी के द्वारा स्वंय भी 33डी0 भूखण्ड की खरीद की गयी। इस प्रकार मौजा ओरियारा में कुल 6.16 एकड़ के लिए विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{284}{1}$ कायम थी।

(4) रामशरण सिंह एवं अखिलानंद सिंह से जमालपुर एवं जियाउद्दीनचक के भूखण्ड को लेकर विवाद हुआ था तथा धारा 145 के अंतर्गत वाद सं0 195(एम)/72 चला था, जिसमें दिनांक 23.06.1983 को रामशरण सिंह के पक्ष में फैसला हुआ। कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा अखिलानंद सिंह को स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी, परन्तु विपक्षी के द्वारा व्यवहार न्यायालय में अभी तक कोई वाद दायर नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर किया गया, जो निरस्त हो गया।

(5) जगनारायण सिंह ने हिस्सा में जो भूखण्ड मिला, उसे जगनारायण सिंह एवं उनके उतराधिकारियों के द्वारा विभिन्न लोगों को बेच दी गयी। आवेदिकागण के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मसौढ़ी के समक्ष दिनांक 02.07.2014 के द्वारा स्वंय इस प्रकार का ब्यान दिया गया है कि उनके द्वारा 7–8 बिघा भूमि की बिक्री की गयी है।

(6) इस वाद के प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष 2014 में भी द0प्र0सं0 की धारा–144 के तहत दो वाद 992/14 एवं 518/14 लाया गया जो निरस्त कर दिया गया।

(7) अंत में प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया तथा अवैध ढंग से दाखिल खारिज करा लिया गया। जानकारी मिलने पर विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में अपील दायर की गयी।

(8) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/16–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा यह रिवीजन वाद रद्द करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजातों की छाया–प्रति दाखिल की गयी है

1. भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र
2. वर्ष 2017–18 की लगान रसीद
3. सुनीता देवी का दिनांक 02.07.2014 का आवेदन
4. दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/2016–17 में अनिता देवी एवं अन्य के द्वारा दाखिल प्रति उत्तर
5. धारा–144 के अन्तर्गत वाद सं0 992/14 में दिनांक 17.12.2014 को पारित आदेश
6. धारा 144 के अन्तर्गत वाद सं0 518/14 में दिनांक 20.09.2014 को पारित आदेश
7. धारा 145 द0प्र0सं0 अन्तर्गत वाद सं0 145(एम)/72 में दिनांक 23.06.1983 को पारित आदेश
8. वर्ष 1966–67, 1980–81 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) अनिता देवी एवं सुनिता देवी के द्वारा विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 3903/454 वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा विवादित भूखण्ड बाबु तपेश्वरी नारायण चौधरी एवं बाबु रामेश्वरी नारायण चौधरी से केवाला से खरीदगी भूमि बताया गया है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिक्रेता की जमाबंदी सं0 $\frac{284}{1}$ एवं 285 बतायी गयी है। राजस्व कर्मचारी का यह प्रतिवेदन गलत है क्योंकि जमाबंदी सं0 $\frac{284}{1}$ एवं 285 विपक्षी सत्यदेव सिंह की है, जो कि उनके द्वारा दाखिल लगान रसीद की छाया प्रति से प्रमाणित है।

(2) दाखिल खारिज के अभिलेख से यह प्रमाणित नहीं होता है कि जमाबंदीदार को सूचना दी गयी है। प्रश्नगत मामले में जमाबंदीदार को बिना सूचना दिये तथा बिना उनका पक्ष सुने दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जो कि उचित नहीं है।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 3903/454 वर्ष 2015–16 में वर्ष 1947 के जिस विक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, उक्त विक्रय पत्र जगनारायण महतो एवं रामशरण महतो के पक्ष में निष्पादित है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूखण्ड अनिता देवी एवं सुनीता देवी को कैसे प्राप्त हुई, इसका बिना कोई साक्ष्य/प्रमाण लिए दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जो गलत है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि दाखिल खारिज वाद सं0 3903/454 वर्ष 2015–16 में अंचलाधिकारी, धनरूआ के द्वारा नियमों को दर किनार करते हुए अनुचित ढंग से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/16–17 में दिनांक 30.11.2016 के अपने आदेश से निरस्त कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है।

जहाँ तक उभय पक्षों के बीच पारिवारिक सम्पति के हिस्सा एवं बंटवारा का प्रश्न है, इसके लिए वे सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/2016–17 में दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

9/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(मनीष)